गैर-गोपनीय

मामला सं.एडी(ओआई)-44/2024

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

चीन जन.गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच

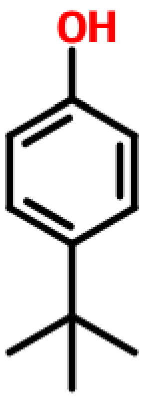

"पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल"

गैर-गोपनीय

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण
क.	**पृष्ठभूमि**
ख.	**प्रक्रिया**
ग.	**विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
	ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
घ.	**घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार**
	घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
ड.	**गोपनीयता**
	ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
च.	**विविध मुद्दे**
	च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
छ.	**सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**
	छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार
	छ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध
	छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
	क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण
	ख. ताईवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

ज.	**क्षति के मूल्यांकन की पद्धति और क्षति की जांच तथा कारणात्मक संपर्क**
	ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
	ज.3.1 **क्षति का संचयी मूल्यांकन**
	ज.3.2 **पातित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**
	ज.3.3 **घरेलू उद्योग पर पातित आयातों का कीमत प्रभाव**
	ज.3.4 **घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव**
	ज.4 कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)
झ.	**भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**
	झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
ञ.	**प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**
	ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
	ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
	ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच
ट.	**निष्कर्ष और सिफारिश**

गैर-गोपनीय

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग -I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/47/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 24 सितंबर, 2026

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई)-44/2024

विषयः चीन जन.गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने अधिसूचना संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2022 को दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। इसके बाद प्राधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 20 दिसंबर 2023 के माध्यम से संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 04/2024-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाए गए थे।

2. प्राधिकारी को विनाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "याचिकाकर्ता" या "वीओएल" कहा गया है) द्वारा दायर वर्तमान आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, चीन जन.गण. और ताइवान (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" (जिसे इसके बाद "पीटीबीपी" या "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की गई है।

3. आवेदक ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध सामानों के आयात पर शुल्क लगाने के बाद, चीन जन.गण. और ताइवान में उत्पादकों ने भारत में संबद्ध सामानों का पाटन शुरू कर दिया। जांच की अवधि में चीन जन.गण. और ताइवान से पाटन और क्षतिकारक कीमतों पर आयात की मात्रा कई गुना बढ़ गई और इस तरह के आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

4. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/47/2024-डीजीटीआर, दिनांक 26 जून, 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

5. जांच के संबंध में यहाँ नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

5.1 जांच की शुरुआत

i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से चीन जन.गण. की सरकार को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन-पत्र की जांच करने पर प्राधिकारी को *प्रथम दृष्टया* पाटन और इस तरह के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने का प्रमाण मिला। अत:, नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने अधिसूचना

फा. सं. 6/47/2024-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 ('जांच शुरुआत अधिसूचना') के माध्यम से वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

5.2 **आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन**

i प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से चीन जन.गण. की सरकार को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराई गई थी।

5.3 **जांच की अवधि और क्षति की जांच की अवधि**

i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि (पीओआई) को 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) के रूप में माना गया था। क्षति की अवधि में 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल थी।

ii. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ें प्राप्त करने के लिए डीजी सिस्टम से अनुरोध किया गया था। आंकड़े प्राप्त हो गए थे और आवश्यक विश्लेषण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

5.4 संबद्ध देशों से निर्यातकों और भारत से आयातकों/प्रयोक्ताओं की प्रतिभागिता

i. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों, आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों और भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों के साथ जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

ii. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के बारे में सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों को प्रश्नावली जारी की।

क्र.सं.	चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों के नाम
1.	सीआईडीआईसी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, चीन

2.	फार्मसिनो क .लिमिटेड, चीन
3.	हैंग्जो सेलोर केमिकल कंलिमिटेड ., चीन
4.	हेल्म चाइना कंलिमिटेड ., चीन
5.	नानजिंग डेटांग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन
6.	चिंगदाओ बोलिमिटेड .सिन इंटरनेशनल कं-, चीन
7.	शेडोंग जॉयलि .रिंग केमिकल कं-, चीन
8.	तास्को केमिकल कॉर्पोरेशन, ताइवान
9.	ट्विंकल स्टार केम टेक्नोलॉजी, चीन
10.	झेजियांग केमिकल्स इम्पोर्ट, चीन
11.	झेजियांग टोंगक्सियांग फॉरेन ट्रेड)ग्रुपलि .कं (, चीन
12.	ज़िबो जुजिया केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन
13.	राचेम कंपनी लिमिटेड (चीन), चीन
14.	रेलीबो फार्माकेमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन
15.	झेंगझोउ मेड्या केमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, चीन

iii. किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक या निर्यातक द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी।

क्र.सं.	आयातकों/प्रयोक्ताओं के नाम
1.	एबेलिन पॉलीमर्स
2.	अडानी इंटरनेशनल
3.	अमृत पॉलीकेम प्रालिमिटेड .
4.	एटर्निस फाइन केमिकल्स लिमिटेड
5.	फ्लेमिंग लैबोरेटरीज लिमिटेड
6.	फ्लोरा केमिकल्स
7.	एमपीडी इंडस्ट्रीज प्रा .लिमिटेड
8.	लियो केमो प्लास्ट प्रा .लिमिटेड
9.	मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
10.	पायनियर केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
11.	पोलिओल्स एंड पॉलीमर्स प्रा .लिमिटेड
12.	प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड

13.	हार्डवेयर ट्रेडिंग कारपोरेशन
14.	आर. नंदलाल एंड संस
15.	ह्यूबरग्रुप इंडिया प्रा .लिमिटेड
16.	आर इनोवेटिव प्राइवेट .आर.लिमिटेड
17.	कनोड़िया चेम्बोंड प्रा .लिमिटेड
18.	संजय केमिकल्स प्राइवेट (इंडिया)लिमिटेड
19.	कांतीलाल मणिलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
20.	टेक्नो वैक्सकेम प्रा .लिमिटेड
21.	मैक इंडस्ट्री

v. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करके या जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में अनुरोध को दायर करके वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

vi. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग को भी भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। प्राधिकारी द्वारा जारी आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था।

5.5 **आगे की प्रक्रिया**

i. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत किया:

क्र.सं.	हितबद्ध पक्षकार
1.	भारत में ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर

ii. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

iii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 मई 2026 को हाइब्रिड मोड में सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर

प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों को 12 मई 2026 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, 15 मई, 2026 तक दायर करने का अवसर दिया गया था।

iv. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

v. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

vi. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया, जो वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

vii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान ध्यान में रखते हुए की गई है।

viii. प्राधिकारी ने कार्यवाही के दौरान उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्यों के लिए संगत थे।

ix. जांच के आवश्यक तथ्यों का एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बना था, 14 अगस्त 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को 19 अगस्त 2026 तक टिप्पणी करने का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर संगत पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में साक्ष्य के साथ समर्थित और गैर-पुनरावृत्तियों टिप्पणियों पर विचार किया गया है।

x. प्राधिकारी ने इसके पश्चात प्रकटन विवरण के अनुपूरक के रूप में 17 सितंबर 2026 को एक अनुपूरक प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक तथ्यों का तथा प्रकटन विवरण में प्रस्तावित परिणामी संशोधनों का प्रकटन किया गया और उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। अनुपूरक प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों पर संगत, गैर-पुनरावृत्त और साक्ष्य से समर्थित पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।

xi. *** किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xii. जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 85.43रु है । यह रेट POI के दौरान इंपोर्ट किए गए सामान की वैल्यू बदलने के लिए कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 14 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा बताए गए एक्सचेंज रेट्स का औसत है। इस डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में यही रेट इस्तेमाल किया गया है। (source: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/view)

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल ("पीटीबीपी") है, जिसे 4 टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पी टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पीटीबीपी केमिकल/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फेनोल के रूप में भी जाना जाता है, जो सीएएस संख्या 98-54-4। पीटीबी की पुष्टि करता है। पीटीबीटी एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी10एच14ओ) है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है।

ii. संबद्ध सामान सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29071940 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

iii. इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सील एसीटेट (पीटीबीसीएचए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इपॉक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित कई रेजिन बनाने के लिए भी किया जाता है।

iv. संबद्ध सामान पिघले हुए और परतदार दोनों रूपों में हो सकते है। दोनों रूपों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है क्योंकि अंतर पिघले हुए रूप की लागत और कीमत है और परतदार रूप न्यूनतम है। संबद्ध सामानों पर पिछली जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में दोनों रूपों पर विचार किया था।

v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का इस्तेमाल परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित पर विचार किया गया था।

> *"3. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल" या "पीटीबीटी" हैं जो सीएएस संख्या 98-54-4 के अनुरूप है। पीटीबीपी को 4 टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पी टर्ट ब्यूटाइलफेनोल/पीटीबीपी केमिकल/पैरा टर्ट ब्यूटाइल फेनोल के रूप में भी जाना जाता है।*
>
> *4. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) के साथ एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसमें एक विशिष्ट फेनोलिक गंध होती है। पीटीबीपी रसायन आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटाइलिन की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है।*

क. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

9. पैरा-टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र (सी10एच14O) है। पीटीबीपी को उत्प्रेरक के रूप में एसिड सक्रिय मिट्टी की उपस्थिति में ब्यूटेन्स के गैसीय आइसोमर को फिनोल में शामिल करके तैयार किया जाता है। इस उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से परफ्यूमरी कच्चे माल पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्साइल एसीटेट (पीटीबीसीएचए) के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इपॉक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित कई रेजिन बनाने के लिए भी किया जाता है।

10. पीटीबीपी पिघले हुए और परतदार रूपों में हो सकता है। पिघला हुआ और परतदार दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। संबद्ध सामान मुख्य रूप से परतदार रूप में बेचे जाते हैं। पिघले हुए और परतदार दोनों रूपों का उपयोग आम है और इसका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया जा सकता है। पिघले हुए रूप और परतदार रूप की लागत और कीमत में अंतर न्यूनतम है।

11. चूँकि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः प्राधिकरण का मत है कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही माना जाए, जो जाँच आरंभ करने की अधिसूचना में निर्धारित किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण

12. संबद्ध सामानों को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29071940 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. आवेदक द्वारा उत्पादित समान वस्तु

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद वास्तविक भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

14. प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय और क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

15. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. यह आवेदन-पत्र विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

ii. आवेदक ने जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था। इससे पहले, भारत अपनी घरेलू मांग के लिए संबद्ध सामानों के आयात पर पूरी तरह से निर्भर था।

iii. आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है और संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सेदारी रखता है।

iv. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक या आयातक से भी संबद्ध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. वर्तमान आवेदन-पत्र विनाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन में उसका पूरा हिस्सा है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

20. यद्यपि घरेलू बाजार में लंबे समय से संबद्ध सामान का प्रयोग किया जा रहा है, तथापि आवश्यकताओं को पूरी तरह से आयात द्वारा पूरा किया गया था। संबद्ध सामानों का कोई ज्ञात विकल्प नहीं है। आवेदक ने भारत में संबद्ध सामानों के निर्माण के लिए एक नया संयंत्र शुरू किया है और 2014-15 में इस उत्पाद की कल्पना की है और जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। जहां तक भारत में इसके उत्पादन का संबंध है, संबद्ध सामान देश में एक नया उत्पाद है।

21. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग

है, और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार की अपेक्षा को पूरा करता है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता का दावा करने के संबंध में अनुरोध दायर नहीं किया है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध दायर नहीं किया है और घरेलू उद्योग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ड.3. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

> *"7. गोपनीय सूचना:*
>
> *(1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे। निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

(2) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

25. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. ताइवान से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए कोई वैध आधार नहीं है क्योंकि ताइवान से पाटन का कोई इतिहास नहीं है, आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि आयातकों को पाटन के बारे में पता था और ताइवान से उत्पाद का बड़े पैमाने पर पाटन नहीं है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं।

i. वर्तमान जांच में पूर्वव्यापी पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में पाटन का इतिहास है, आयातकों को पाटन के बारे में पता होना चाहिए था और चीन और ताइवान से आयात में काफी वृद्धि हुई है जिससे देश में बड़े पैमाने पर पाटन हुआ है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. ताइपे इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाए जाने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं और इसलिए, इस संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अनुरोध दायर नहीं किए हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन.गण. को चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुबंध- । के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. यदि यह तर्क दिया जाए कि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार का अनुच्छेद 15(क)(ii) पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए, इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15(क)(i) अभी भी लागू है और चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

iii. चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 (क) (i) के तहत दायित्व के लिए नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को निर्यातक द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है।

iv. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के हकदार नहीं है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध- । के पैरा 7 को अपनाना चाहिए।

v. आवेदक ने भारत में देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो उचित मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत पर आधारित है।

vi. आवेदक के पास ताइवान में प्रचलित घरेलू बिक्री कीमत के बारे में सूचना तक पहुंच नहीं थी।

vii. आवेदक ने ताइवान में उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर ताइवान में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदक ने एक प्रमुख कच्चे माल, फ़ीनोल के आयात कीमत पर सूचना एकत्र की। उचित समायोजन के बाद, सामान्य मूल्य की गणना के लिए सर्वोत्तम सूचना के आधार पर अन्य कच्चे माल की कीमत और खपत मानदंडों पर विचार किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

32. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II ,III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क),14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से

बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है ,तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क)समाप्त कर दिए जाएंगे ,बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा,आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं,उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

33. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के साथ-साथ अनुबंध-I के पैरा 7 पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने करने के लिए कहा जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि यदि उत्तरदाता चीनी उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार-संचालित हैं, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

34. यह नोट किया गया है कि जहां धारा 15 (क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, वहीं डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के साथ-साथ अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के लिए नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करने के लिए

पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है। चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य या कीमत, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को उस तीसरे देश की कीमत या जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित अन्य किसी उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को ध्यान में रखा जाएगा। जांच की समय सीमाओं के भीतर, जहां उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में उसी तरह के मामले में की गई जांच को ध्यान में रखा जाएगा। जांच में पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त समयावधि दी जाएगी"

35. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का कई देशों में उत्पादन किया जाता है, लेकिन उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, भारत में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश आयात या तो चीन जन.गण., या कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से हैं, जो पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है या नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत सूचीबद्ध आधारों में से कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बने।

36. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत में समान वस्तु के लिए देय कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए भारत में उत्पादन की अनुकूलित लागत और उचित लाभ जोड़ने के बाद निर्धारित किया गया है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। चीन जन.गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख. ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

38. जबकि आवेदक ने ताइवान में उत्पादन की अनुमानित लागत के संबंध में आयात कीमत के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का प्रस्ताव दिया है, और प्रमुख कच्चे माल की आयात कीमत के संबंध में, और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़कर, प्राधिकारी ने ताइवान में उत्पादकों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसे उचित रूप से बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ताइवान के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। ताइवान से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

क्र.सं.	देश	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	(यूएसडॉ./एमटी)	%	रेंज %
1.	चीन जन.गण.	***	***	***	***	10-20%
2.	ताईवान	***	***	***	***	5-15%

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आंकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. ताइवान से आयात को चीन जन.गण. से आयात के साथ संचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि संचय की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ताइवान से आयात चीन जन.गण. से आयात की तुलना में बहुत कम है और इस तरह के आयात की तुलना में अधिक कीमत है।

ii. ताइवान से आयात बहुत कम है और आयात की इतनी मात्रा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं हो सकती है।

iii. जबकि ताइवान से आयात में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है।

iv. ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहा है। इसके अलावा, बिक्री के बाद छूट का साक्ष्य केवल चीन जन.गण. से आयात के संबंध में प्रस्तुत किया गया है और ताइवान से आयात के संबंध में नहीं।

v. ताइवान से आयात कीमत में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान और जब से इसने भारत में उत्पादन शुरू किया है, काफी वृद्धि हुई है। यह स्वस्थ प्रचालन दर्शाता है और घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं दर्शाता है।

vii. जबकि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ताइवान से आयात की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

viii. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जो कीमत न्यूनीकरण/ ह्रास का अभाव दर्शाता है।

ix. घरेलू उद्योग को क्षति उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत के कारण है और इसे संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

x. ताइवान से आयात इतने कम हैं कि वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते और ताइवान के संबंध में जांच समाप्त की जानी चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने जुलाई 2020 में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया, इससे पहले भारत में पीटीबीपी का कोई उत्पादन नहीं था। भारत में संबद्ध सामानों की पूरी मांग आयात द्वारा पूरी की जा रही थी।

ii. दक्षिण कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर से आयात के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी आ रही थी। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त देशों पर शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो 14 मार्च 2024 को लगाया गया था।

iii. जैसे ही दक्षिण कोरिया, अमेरिका और सिंगापुर पर शुल्क लगाया गया, वर्तमान जांच में पाटन का स्रोत चीन जन.गण. में स्थानांतरित हो गया।

iv. आयातक जो पहले पिछली पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण. से आयात कर रहे थे, उन्होंने ऐसे देशों से आयात कम कर दिया है और पाटित कीमतों पर ऐसे आयात की उपलब्धता के कारण वर्तमान जांच में चीन जन.गण. से आयात बढ़ा दिया है।

v. पाटन के पिछले प्रभावों से घरेलू उद्योग की गैर-वसूली अपने आप में एक क्षति कारक है, जैसा कि विश्व स्तर पर अधिकारियों द्वारा माना जाता है।

vi. चीन जन.गण. से आयात जो 2021-22 में भारत में कुल आयात का केवल 1% था। अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद इस तरह के आयात में काफी वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में भारत में कुल आयात का 40% से अधिक हिस्सा है।

vii. 2022-23 में ताइवान से कोई आयात नहीं हुआ था। हालाँकि, 2023-24 से भारत में आयात शुरू हुआ और जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।

viii. भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात में भी जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

ix. जबकि भारत में मांग में वृद्धि हुई है, यह वृद्धि संबद्ध आयातों द्वारा ली जा रही है।

x. चीनी निर्यातकों ने भारत में आयातकों को बीजक के बाद छूट प्रदान की है और इसलिए, लेनदेन के अनुसार आयात आंकड़ों के अनुसार आयात कीमत चीन जन.गण. से आयातों का सही मूल्य नहीं दर्शाता है।

xi. संबद्ध सामानों की पुन: बिक्री कीमत सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित की गई आयात कीमत से भी कम है। घरेलू उद्योग को भारत में पुन: बिक्री की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया है और ऐसी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रही हैं।

xii. यदि पुन: बिक्री कीमत को खर्चों के लिए समायोजित किया जाता है और यह पुन:बिक्रीकर्ता/आयातक द्वारा अर्जित किया जाता है, तो कीमत में कटौती अभी भी सकारात्मक बनी हुई है।

xiii. संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है।

xiv. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि, घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर किया गया है। आवेदक को भारतीय बाजार में ऑर्डर प्राप्त करने और टिके रहने के लिए अपने ग्राहकों को छूट देने के लिए मजबूर किया गया है।

xv. क्षति की अवधि में चीन जन.गण. की बाजार हिस्सेदारी तीन गुना बढ़ गई। चीन जन.गण. से आयात ने अन्य देशों द्वारा खाली किए गए बाजार हिस्सेदारी को पीछे छोड़ दिया है, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। जबकि इस आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, वहीं जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

xvi. पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग एक या दूसरे स्रोत से पाटन के कारण अपनी क्षमता को साकार नहीं कर पाया है। बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, इसे भारत में आयात मूल्य कीमत के अनुरूप अपनी कीमतों को बेंचमार्क करना होगा। चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, इसलिए घरेलू उद्योग को घाटे में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

xvii. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति की अवधि में काफी वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

xviii. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद से घरेलू उद्योग को एक या दूसरे स्रोत से पाटन के कारण लगातार वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। अनुमानित आय और घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के बीच काफी अंतर है।

xix. घरेलू उद्योग ने पीटीबीपी उत्पादन इकाई की स्थापना में *** करोड़ रु. का निवेश किया था। तथापि, लगातार पाटन के कारण इसे लगभग *** करोड़ रुपये की लगातार हानि हुई है और व्यापार उपचारात्मक उपायों के बिना प्रचालन बंद हो सकता है।

xx. यदि स्थिति का समाधान नहीं किया जाता है, तो घरेलू उद्योग भारत में उत्पादन बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालाँकि, प्रचालन बंद करने से प्रचालनात्मक और निश्चित खर्च में काफी वृद्धि होगी जिससे कंपनी की समग्र लाभप्रदता में गिरावट आएगी। परिणामस्वरूप कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्राहकों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।

xxi. घरेलू उद्योग के निवेश में पहले से ही जांच की अवधि तक लगभग *** लाख रु. की कमी आई है।

xxii. क्षति की अवधि में औसत मालसूची काफी बनी रही और जांच की अवधि में और बढ़ गई।

xxiii. घरेलू उद्योग में उत्पादन और बिक्री मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन कीमत निर्धारण मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि हुई है। मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि केवल इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता पर समझौता किया है और संबद्ध सामानों को हानि पर बेचा है।

xxiv. चीन जन.गण. के उत्पादकों के पास अतरिक्त निपटान योग्य क्षमता है जो भारत की घरेलू मांग से कहीं अधिक है। उपचारात्मक उपायों के अभाव में, पाटन तेज होने की संभावना है।

xxv. घरेलू उद्योग को क्षति, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन के कारण हुई है और किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

xxvi. एक से अधिक देश से आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन के लिए नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तें वर्तमान मामले में पूरी होती हैं और चीन जन.गण. तथा ताइवान से आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से किया जाना आवश्यक है।

गैर-गोपनीय

xxvii. ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करना अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि न तो ताइवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन और न ही ताइवान से आयातों की मात्रा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से कम है। ताइवान से पाटन के इतिहास का अभाव वर्तमान निर्धारण के लिए संगत नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

42. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

43. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उसे संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और रिकॉर्ड में सत्यापित साक्ष्य को ध्यान में रखा है और इसके तहत नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

44. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान द्वारा अनुरोध किए गए हैं, तथापि, हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग को ऐसे अनुरोध परिचालित करने में विफल रहा है। इक्विटी के हित में, प्राधिकारी ने ताइवानी प्राधिकारी द्वारा दायर किए गए अनुरोधों पर विचार किया है। ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान ने अनुरोध किया है कि ताइवान से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि क्षति की अवधि में इसमें गिरावट आई है और यह घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं।

45. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर के तर्क ताइवान से आयातों की मात्रा और कीमत पर अलग-अलग रूप में विचार करने से संबंधित हैं। दोनों संबद्ध देशों से आयातों के

प्रभाव का मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाना है अथवा संचयी रूप से, यह नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) द्वारा शासित है। तदनुसार इन तर्कों की जांच नीचे दर्ज संचयी मूल्यांकन संबंधी निर्धारण में और उसके पश्चात पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव, कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव की जांच में की गई है।

ज.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन

46. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 के पैरा (iii) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करते हैं किः

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयातों के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होते हैं, और

ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

47. पहली शर्त के संबंध में, चीन जन.गण. से आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 10-20% की सीमा में है और ताइवान से आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 5-15% की सीमा में है, जिनमें से प्रत्येक निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है। जांच अवधि में चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा 3,391 मीट्रिक टन और ताइवान से आयातों की मात्रा 427 मीट्रिक टन थी, जो भारत में समान वस्तु के कुल आयातों 8,928 मीट्रिक टन का क्रमशः 38% और 4.78% है। इस प्रकार प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है। अतः दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पहली शर्त पूरी होती है।

48. दूसरी शर्त के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक एकल रसायन, अर्थात सीएएस सं. 98-54-4 के अनुरूप पैरा टर्टियरी ब्यूटाइल फेनोल है, जिसे प्रशुल्क मद 29071940 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकारी ऊपर यह मान चुके हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु हैं। इसलिए दोनों संबद्ध देशों से आयातित सामान परस्पर तथा घरेलू

समान वस्तु के साथ परिवर्तनीय हैं। यह घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों के अनुबंध-ग के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए चीनी, ताइवानी और भारतीय उत्पादकों के उत्पाद विवरण पत्रकों से भी सिद्ध होता है।

49. डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दोनों संबद्ध देशों से संबद्ध सामान भारत में प्रयोक्ता उद्योगों और व्यापारियों द्वारा सीधे आयात किए जाते हैं, न कि किसी पृथक वितरण माध्यम से। क्षति अवधि के दौरान उन्हीं आयातकों ने ताइवान से, चीन जन.गण. से तथा पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है। जांच अवधि में ताइवान से संबद्ध सामानों के प्रमुख आयातकों ने चीन जन.गण. अथवा कोरिया गणराज्य से भी संबद्ध सामानों का आयात किया है और उनमें से कई घरेलू उद्योग के ग्राहक भी हैं। इस प्रकार दोनों संबद्ध देशों से आयातित सामान और घरेलू समान वस्तु उन्हीं वितरण माध्यमों से ग्राहकों के उसी वर्ग को बेचे जाते हैं।

50. दोनों संबद्ध देशों से आयात जांच अवधि के दौरान भारतीय बाजार में उपस्थित रहे और उन्होंने परस्पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए सामानों के साथ उसी अवधि में और उन्हीं बाजार परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा की।

51. ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर ने यह तर्क दिया है कि संचय इस कारण उपयुक्त नहीं है कि ताइवान से आयात चीन जन.गण. से आयातों की तुलना में मात्रा में कम और कीमत में अधिक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के बीच आयातों की मात्रा का अंतर पहली शर्त में निर्धारित मात्रात्मक सीमा द्वारा संबोधित होता है, जिसे ताइवान से आयात पूरा करते हैं, और यह कि संबद्ध देशों के बीच आयात कीमतों के स्तर का अंतर स्वयं में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों का अंतर नहीं है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव की जांच नीचे पृथक रूप से की गई है। ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर ने आवेदन-पत्र में किए गए इस कथन पर भी विश्वास किया है कि घरेलू उत्पादक के अभाव में भारतीय बाजार पर पूरी तरह चीनी आयातों का प्रभुत्व हो जाता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त कथन एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग के हित के संदर्भ में किया गया है और यह इस बात की स्वीकृति नहीं है कि क्षति केवल चीन जन.गण. से आयातों के कारण है। आवेदन-पत्र, लिखित अनुरोधों तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों में क्षति को लगातार दोनों संबद्ध देशों से आयातों के कारण बताया गया है।

52. जहां तक यह अनुरोध है कि ताइवान के संबंध में जांच समाप्त की जानी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ताइवान के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और ताइवान से आयातों की मात्रा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित नगण्यता की सीमा से अधिक है। अतः ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करने की शर्तें आकृष्ट नहीं होती हैं।

53. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं और घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण. तथा ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करना उपयुक्त है। तदनुसार, पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर उनके परिणामी प्रभाव की जांच आगे के पैराग्राफों में संचयी आधार पर की गई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/खपत का आंकलन

54. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की राशि के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	125	116	110	3,391
ताईवान से आयात	एमटी	862	-	397	427
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	987	116	507	3,818
पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देशों से आयात:	एमटी	11,118	6,797	5,895	5,111
कोरिया गणराज्य	एमटी	6,174	4,835	5,613	4,752
सिंगापुर	एमटी	4,004	982	42	-
यूएसए	एमटी	940	980	240	359
अन्य देशों से आयात	एमटी	176	225	15	-
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	232	401	464
घरेलू उद्योग– कैप्टिव खपत	एमटी	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	-	71	20
मांग/खपत - कैप्टिव को छोड़कर	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	102	129
मांग/खपत- कैप्टिव सहित	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	83	102	128

55. यह देखा गया है कि 2022-23 में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई और उसके बाद इसमें वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि हुई है।

ख. समग्र और सापेक्ष रूप में आयात

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति अवधि तथा जांच अवधि के दौरान समग्र एवं सापेक्ष रूप में आयातों की मात्रा की जानकारी नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
चीन जन गण से आयात	मी. टन	125	116	110	3,391
ताइवान से आयात	मी. टन	862	-	397	427
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	987	116	507	3,818
देश जिनपर शुल्क लागू है	मी. टन	11,118	6,797	5,895	5,111
अन्य देश	मी. टन	176	225	15	-
कुल आयात	मी. टन	12,281	7,138	6,417	8,928
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात:					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	6	16	95
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	14	50	301
कुल आयात	%	8%	2%	8%	43%

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में 287% की वृद्धि हुई है, जो आधार वर्ष के 987 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,818 मीट्रिक टन हो गए, तथा जांच अवधि में यह अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ii. मार्च 2024 में अन्य देशों अर्थात कोरिया गणराज्य, सिंगापुर तथा यूएसए पर शुल्क लगाए जाने के उपरांत संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयात ऐतिहासिक रूप से कम रहे हैं, यद्यपि पाटन के अन्य स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के पश्चात इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

iii. यह देखा गया है कि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले पाटित आयातों द्वारा छोड़े गए बाजार के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देशों से होने वाले आयातों ने कब्जा कर लिया है। इस प्रकार, पाटन अब संबद्ध देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है।

iv. पूर्ववर्ती जांच के अध्यधीन देशों से आयातों में आई गिरावट के बाद, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

v. भारत में खपत के संबंध में आयातों में वृद्धि हुई है।

vi. कुल उत्पादन के संबंध में आयातों में 2022-23 तक गिरावट आई और 2023-24 में इसमें वृद्धि शुरू हुई। भारत में उत्पादन के सापेक्ष आयातों में जांच अवधि के दौरान तीव्र वृद्धि हुई।

58. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जुलाई 2020 में उत्पादन शुरू किया था तथा कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले पाटित आयातों ने इसकी स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई थी। तथापि, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए पर शुल्क लगाए जाने के तुरंत बाद, संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची, जिस प्रकार से नीचे विस्तार से जॉच की गई है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय रूप से कीमत कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा

कीमतों को कम करना या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना रहा है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में काफी बढ़ गई होती।

60. तदनुसार, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का जॉच कीमत कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से तथा संबद्ध देशों से कुल मिलाकर संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती का निर्धारण करना आवश्यक है। कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, व्यापार के समान स्तर पर संबद्ध वस्तु के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है।

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण.	ताइवान	संबद्ध देश
आयात मात्रा	मी. टन	3,391	427	3,818
पंहुच कीमत	₹/मी. टन	1,60,037	1,67,477	1,60,869
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी. टन	***	***	***
कीमत कटौती	₹/मी. टन	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के संबंध में तथा संबद्ध देशों से कुल मिलाकर आयातों के संबंध में कीमत कटौती नकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आयात आंकड़ों में दर्ज सीआईएफ कीमत आयातों की वास्तविक कीमत नहीं है, क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक बीजक जारी करने के बाद छूट प्रदान करते हैं। घरेलू उद्योग ने वस्तु को पुनः बेचने के लिए आयातकों द्वारा जारी किए गए कुछ बीजकों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

63. यद्यपि यह देखा गया है कि यदि वस्तु की पुन: बिक्री कीमत पर विचार किया जाए तो कीमत कटौती सकारात्मक होती है, तथापि पुन: बिक्री कीमतों के इन साक्ष्यों में शामिल आयातों की कम मात्रा को देखते हुए, प्राधिकारी ने इस आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण करना अनुचित समझा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बीजक-उपरांत छूट का साक्ष्य केवल चीन जनवादी गणराज्य से आयातों से संबंधित है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह मानने के लिए कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, सकारात्मक कीमत कटौती होना कोई अनिवार्य पूर्व-शर्त नहीं है। यह वर्तमान मामले में अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण है, जहां घरेलू उद्योग पहले विभिन्न स्रोतों से होने वाली पाटन से नुकसान उठा रहा था जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और घरेलू उद्योग पाटन के पूर्व दुष्प्रभावों से उबरने के मार्ग पर था।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

64. घरेलू बाजार में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ, बिक्री लागत, घरेलू बिक्री कीमत, क्षतिरहित कीमत तथा पंहुच कीमत की जॉच की गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	112	105
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	96	99
संबद्ध देशों से आयातों का पंहुच मूल्य	₹/मी. टन	1,27,146	1,80,983	1,59,161	1,60,869
क्षतिरहित कीमत	₹/मी. टन				***

65. यह देखा गया है कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी बिक्री कीमत में गिरावट आई है। इसके अलावा, पूरी जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, फिर भी यह पूर्ववर्ती जांच और वर्तमान जांच अवधि दोनों में ही घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम बनी हुई है। जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से *** कम है। इस प्रकार, संबद्ध देशों से होने

वाले आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को क्षतिरहित कीमत से अधिक के स्तर तक बढ़ाने से रोका है।

66. आगे यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पूर्ववर्ती जांच में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना में मंदी आ रही थी तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से कम थी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण, उस समय बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत के बीच का अंतर कम हो जाना चाहिए था। तथापि, चूंकि पाटन अब संबद्ध देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है, इसलिए वर्तमान क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच का अंतर वास्तव में काफी बढ़ गया है। यह आगे दर्शाता है कि संबद्ध देशों की ओर पाटन स्थानांतरित होने के कारण संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है, जिसके परिणामस्वरूप वह संबद्ध वस्तु को क्षतिरहित कीमत पर बेचने में असमर्थ रहा है।

विवरण	यूनिट	जुलाई 2021 - जून 2022 (पूर्ववर्ती पीओआई)	2024-25 (वर्तमान पीओआई)
क्षतिरहित कीमत	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	104
बिक्री कीमत	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	94
अंतर	₹/मी. टन	***	***
	सूचीबद्ध	100	335

ज.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव</u>

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जॉच शामिल होनी आवश्यक है। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के जॉच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक,

पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, संवृद्धि, तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

68. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	232	401	464
निर्यात बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	176	268	370

69. यह देखा गया है कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही है।

ii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में हुई यह वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं को अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बेचा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के संदर्भ में नुकसान उठाना पड़ा है, न कि मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में।

iii. यद्यपि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि भारतीय बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति ने घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका है तथा इसके स्थान पर घरेलू उद्योग को अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है तथा भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से अधिक है। तथापि, मांग-आपूर्ति के ऐसे अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री करने से रोका गया है और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

ख. मांग में बाजार हिस्सेदारी

71. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार रही थी:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	275	387	355
चीन जन गण से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	86	2114
ताइवान से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	0	45	39
संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	14	50	301
देश जिनपर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	74	52	36
अन्य देश	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	8	0
कुल आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	51	57

72. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है, वहां से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में 2021-22 के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि हुई है।

ii. क्षति अवधि के दौरान भारत में मांग में संबद्ध देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी तीन गुना बढ़ गई (आधार वर्ष में सूचीबद्ध 100 से जांच अवधि में 301)।

iii. यद्यपि जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है, उनका 2023-24 तक भारत में होने वाले आयातों में प्रमुख हिस्सा था, ऐसे आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क के दायरे में आने वाले आयातों द्वारा छोड़ी गई बाजार हिस्सेदारी पर संबद्ध आयातों ने कब्जा कर लिया है।

iv. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, फिर भी यदि पाटित आयातों की मौजूदगी नहीं होती तो यह बाजार हिस्सेदारी और अधिक बढ़ सकती थी।

ग. मालसूची

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
आरंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	96	130

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में मांग में वृद्धि होने के बावजूद भी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है, फिर भी घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

75. इसके अलावा, मालसूची में यह वृद्धि इस तथ्य के आलोक में और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर विद्यमान है। मांग-आपूर्ति के ऐसे अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में वृद्धि हुई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय तथा नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्रियों की लागत	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	112	105
बिक्री कीमत	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	96	99
पीबीटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(554)	(865)	(373)
प्रति इकाई पीबीआईटी	₹ /मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(552)	(862)	(374)
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1,282	3,454	1,736
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(2,601)	(10,939)	(4,562)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(911)	(2,589)	(1,435)

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लगातार घाटा हुआ है। यद्यपि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को 2023-24 तक घाटा हुआ था, परंतु जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग का घाटा निरंतर जारी रहा है।

ii. घरेलू उद्योग के नकद लाभ ने भी इसी प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। यद्यपि जांच अवधि में नकद घाटे में कमी के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है, तथापि नकद घाटा निरंतर बना रहा है क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन शुरू कर दिया है।

iii. जांच अवधि में तथा अतीत में पाटन करते पाए गए देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक बनी रही है।

iv. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, बिक्री लागत से कम रही है। घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचकर अपनी बिक्री में वृद्धि की है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता तथा मजदूरी का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	122	122	120
वेतन और मजदूरी	लाख रूपये	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	28	97	130
प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	197	330	407
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	161	270	339

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान दिए गए वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

च. वृद्धि

80. उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, पीबीटी, पीबीआईटी तथा नकद लाभ के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	0%	0%	0%
उत्पादन	%	-	97%	67%	24%
घरेलू बिक्रियॉ	%	-	132%	73%	16%
प्रति इकाई लाभ/(घाटा) (कर पूर्व लाभ)	%	-	-454%	-56%	57%
नकद लाभ	%	-	-2701%	-321%	58%

नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-811%	-184%	45%

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता स्थिर रही है।

ii. मात्रात्मक मापदंडों ने वर्ष-दर-वर्ष सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि केवल इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया और संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है।

iii. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने 2023-24 तक नकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। तथापि, जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में मामूली सुधार हुआ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में मामूली सुधार के बाद भी, घरेलू उद्योग को लगातार घाटा, नकद घाटा उठाना पड़ा है और उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है।

छ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है तथा पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही है। इसके अलावा, अन्य देशों पर शुल्क लगाए जाने के बाद मुक्त हुई बाजार हिस्सेदारी पर आयातों ने कब्जा कर लिया है और वे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। आयातों की समायोजित पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को लाभप्रदता से समझौता करने के लिए बाध्य किया है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि में घाटा, नकद घाटा हुआ है तथा उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है। इसलिए, यह माना जाता है कि पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

83. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इसकी स्थापना से पहले भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर था। देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, उत्पाद में आगे और निवेश की गुंजाइश है। घरेलू उद्योग को जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी घाटा, नकद घाटा हुआ है तथा उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज

की है। इसके अलावा, जांच अवधि तक घरेलू उद्योग के निवेश में *** लाख रूपये का नुकसान हुआ है। इस प्रकार, पाटित आयातों के कारण पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित हुई है।

झ. पाटन मार्जिन की मात्रा

84. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि भारत में वस्तुओं को किस सीमा तक पाटित किया जा रहा है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ञ. वास्तविक क्षति संबंधी निष्कर्ष

85. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे जांच अवधि में यह अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ख. कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन देशों से आयातों द्वारा खाली किए गए बाजार के एक बड़े हिस्से पर संबद्ध देशों से आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

ग. जांच अवधि के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों में तीव्र वृद्धि हुई। कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयात भी आधार वर्ष के 8% से बढ़कर जांच अवधि में 43% हो गए हैं।

घ. कीमत कटौती नकारात्मक है। तथापि, आयात घरेलू बाजार में कीमत ह्रास का कारण बन रहे हैं।

ङ. उत्पाद को घाटे में बेचने की कीमत पर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई।

च. देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका गया और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है।

छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों की अनुपस्थिति में इसकी बाजार हिस्सेदारी में और अधिक वृद्धि हो सकती थी।

ज. देश में मांग में वृद्धि और मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में तीव्र वृद्धि हुई।

झ. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यद्यपि जांच अवधि में इसके निष्पादन में मामूली सुधार हुआ, फिर भी इसे लगातार घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर अत्यधिक नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

ञ. उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

ट. उत्पाद को घाटे में बेचने के कारण मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि सकारात्मक रही थी। कीमत मापदंडों के संदर्भ में, घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान लगातार घाटा उठाना पड़ा है।

ठ. संबद्ध आयातों ने आगे पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निवेश में काफी नुकसान हुआ है।

ड. जांच अवधि में प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक रहा है।

ट. क्षति मार्जिन की मात्रा

86. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पंहुच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल, सुविधाओं और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध-III में

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर कर-पूर्व लाभ के रूप में उचित आय (22% की दर से कर-पूर्व) की अनुमति दी गई है और इसका पालन किया जा रहा है।

87. उपर्युक्त निर्धारित पंहुच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

देश	**उत्पादक**	**क्षतिरहित कीमत (अम.डा. /मी. टन)**	**आयातों की पंहुच कीमत (अम.डा. /मी. टन)**	**क्षति मार्जिन (अम.डा. /मी. टन)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (रेंज)**
चीन जन गण	कोई	***	***	***	***	0-10
ताइवान	कोई	***	***	***	***	0-10

ज.4. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

88. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक का जॉच करना आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में संगत माने जाने वाले कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी में विकास एवं घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जॉच की गई है कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

89. संबद्ध देशों से होने वाले आयात जांच अवधि में भारत में होने वाले कुल आयातों का 43% हिस्सा हैं। यद्यपि कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से होने वाले आयात मात्रा में उल्लेखनीय हैं, तथापि ऐसे आयात पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं और ऐसे आयातों की पाटनरोधी शुल्क सहित पंहुच कीमत संबद्ध देशों से आयातों की

पंहुच कीमत से काफी अधिक है। जांच अवधि में अन्य देशों से आयात शून्य रहे। इसलिए, घरेलू उद्योग तीसरे देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं उठा रहा है।

ख. मांग में संकुचन

90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग को मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

ग. उपभोग की प्रवृति में परिवर्तन

91. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती थी।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

92. यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थितियों या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

93. प्रौद्योगिकी के ऐसे किसी विकास का कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग ने हाल ही में भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है और इसलिए, उसके पास नई तकनीक उपलब्ध है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों से संबंधित क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है। इसलिए, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा उन्हीं को अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए,

उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. उत्पादकता

96. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः क्षति का कारण उत्पादकता में गिरावट नहीं हो सकता है।

झ. उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नए उद्योग और निवेश के मामले में, मूल्यह्रास और ब्याज लागत अधिक होने की प्रवृत्ति होती है। तथापि, वर्तमान मामले में, मूल्यह्रास और ब्याज लागत में कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कीमतह्रास और ब्याज लागत में गिरावट आई है तथा इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।

98. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि ब्याज लागत और कीमतह्रास को समायोजित भी कर दिया जाए, तब भी कीमतह्रास और ब्याज लागत का हिसाब लगाने से पहले ही घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। इस प्रकार, उच्च ब्याज और कीमतह्रास लागत घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं है।

विवरण	**यूनिट**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
पीबीटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	(100)	(554)	(865)	(373)
ब्याज लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1157	1755	44
मूल्यह्रास लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	201	105	86
मूल्यह्रास और ब्याज लागत	₹/मी. टन	***	***	***	***

	सूचीबद्ध	100	203	110	86
पीबीडीआईटी	₹/मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	(1,092)	(2,673)	(970)

99. इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो। निम्नलिखित कारक यह सिद्ध करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:

i. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ii. कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध देशों से पाटन शुरू हुआ और संबद्ध आयातों में काफी अधिक वृद्धि हुई।

iii. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में इसके अनुरूप वृद्धि करने में असमर्थ रहा है।

iv. भारत में पाटित आयातों की उपस्थिति के बीच घरेलू उद्योग केवल लाभप्रदता से समझौता करके ही अपने मात्रात्मक मापदंडों को बनाए रखने में सक्षम रहा है।

v. इसके कारण घरेलू उद्योग की मालसूची में भी वृद्धि हुई है।

vi. पूर्व में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने वाले देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग घाटे में बना रहा है।

vii. घरेलू उद्योग को नकद घाटा भी हुआ है और उसने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की है क्योंकि वह संबद्ध वस्तुओं को अपनी बिक्री लागत से अधिक कीमतों पर बेचने में असमर्थ रहा है।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेश में काफी नुकसान हुआ है।

ix. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

x. कीमत संबंधी मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की संवृद्धि नकारात्मक रही है।

100. अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

101. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भारतीय उद्योग के हित अथवा किसी अन्य मुद्दे के संबंध में न तो भागीदारी की है और न ही कोई अनुरोध किया है।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. संबद्ध वस्तुओं का कोई प्रत्यक्ष उपयोग या अनुप्रयोग नहीं है और अनुप्रयोग योग्य बनाने के लिए इनका रूपांतरण किया जाना आवश्यक है। संबद्ध वस्तुओं के लिए डाउनस्ट्रीम उद्योग निम्नानुसार हैं:

    क. पीटीबीसीएचए जिसका उपयोग सुगंध उद्योग द्वारा सुगंध के उत्पादन के लिए किया जाता है।

    ख. रेजिन जिसका उपयोग कोटिंग/स्याही/ एडहेसिव उद्योग में किया जाता है।

ii. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए के उत्पादन में किया जाता है (लगभग 78% खपत)। घरेलू स्तर पर उत्पादित पीटीबीसीएचए का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। पीटीबीसीएचए के निर्यात के लिए पीटीबीपी का आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत कवर होता है। इस प्रकार, शुल्क लगाए जाने से ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीटीबीसीएचए का उपयोग सुगंध उद्योग द्वारा साबुन, डिटर्जेंट और शैंपू में सुगंध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि को एफएमसीजी क्षेत्र के विनिर्माताओं पर अंतरित किया जा सकता है। एफएमसीजी की लागत में सुगंध की लागत नगण्य होती है।

iv. पीटीबीपी का उपयोग रेजिन के उत्पादन में भी किया जाता है, जिसका अंतिम उत्पाद कोटिंग, स्याही और चिपकने वाले पदार्थ हैं (लगभग 45% खपत)। अंतिम उत्पाद में

रेजिन की खपत नगण्य है और इस प्रकार, लागत में वृद्धि का कोई भी प्रभाव नगण्य होगा।

v. यदि 20% पाटनरोधी शुल्क भी लगाया जाता है, तो सुगंध उद्योग पर इसका प्रभाव केवल 0.07% और रेजिन उद्योग पर केवल 0.05% होगा। अंतिम उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

vi. यदि पाटन जारी रहता है, तो घरेलू उद्योग अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा और प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो जाएगा। देश में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक के बंद होने से भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा।

vii. उत्पाद का एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना व्यापक जनहित में है।

viii. व्यापार उपचारात्मक उपायों के अभाव में घरेलू उद्योग और सरकार को कुल मिलाकर लगभग 24 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

ix. यद्यपि भारत ब्यूटाइल फिनोल का एक बड़ा उपभोक्ता है, फिर भी आवेदक द्वारा घरेलू उत्पादन स्थापित करने से पहले भारत में इसके उत्पादन की कोई क्षमता मौजूद नहीं थी।

x. भारत में पीटीबीपी की मांग बढ़ रही है और सुगंध एवं रेजिन उद्योग में वृद्धि के साथ इसके और बढ़ने का अनुमान है। मांग में वृद्धि को देखते हुए, यह आवश्यक है कि भारत में एक मजबूत घरेलू उद्योग होना चाहिए।

xi. पीटीबीपी का उपयोग पॉली कार्बोनेट के लिए एक चेन टर्मिनेटर के रूप में भी किया जा रहा है, जो एक इंजीनियर्ड प्लास्टिक है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, चिकित्सा तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में होता है। पॉली कार्बोनेट उद्योग की वैश्विक वृद्धि दर लगभग 5-6% प्रति वर्ष है।

xii. बढ़ते डाउनस्ट्रीम उद्योगों के साथ, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत को 2030 तक 17,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है, जो 2047 तक बढ़कर 40,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। यदि पाटन जारी रहता है, तो अतिरिक्त निवेश संभव नहीं होगा।

xiii. इस आरंभिक अवस्था के उद्योग को विस्तार करने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पर्याप्त उचित प्रतिस्पर्धी माहौल की आवश्यकता है।

xiv. पूर्ववर्ती और वर्तमान स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद की पाटन के कारण *** लाख रूपये का संचयी घाटा, *** लाख रूपये का नकद घाटा और *** का नकारात्मक आरओआई हुआ है, जबकि अनुमान *** लाख रूपये के संचयी लाभ, *** लाख रूपये के नकद लाभ और *** के आरओआई का था। यदि व्यापार उपचारात्मक उपाय नहीं लगाए जाते हैं, तो भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जॉच

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति का निवारण करना है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह एक समान अवसर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने का एक तंत्र है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के बने रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप अप्रभावित रहेगा। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने पर रोक लगती है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के व्यापक चयन तक पहुंच की रक्षा करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई बाधा नहीं हैं बल्कि उचित व्यापार प्रथाओं के सुविधा प्रदाता हैं।

104. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के बारे में संगत जानकारी प्रदान करने हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी संभावित प्रभाव का विवरण शामिल था।

105. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। वर्तमान जांच में किसी भी उपयोगकर्ता, आयातक या निर्यातक ने भाग नहीं लिया। यह भी नोट किया जाता है कि उपभोक्ता उद्योग कोई छोटा उद्योग नहीं है, तथा वर्तमान जांच उनके संज्ञान में मानी जाती है।

गैर-गोपनीय

106. पीटीबीपी का उपयोग सुगंध और रेजिन उद्योग में किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव नगण्य और 0.1% से कम है। इस प्रकार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। नीचे दी गई तालिका पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	यूनिट	सुगंध (साबुन, डिटर्जेंट, शैंपू)	रेजिन (कोटिंग/स्याही, एडेसिव)
1	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत	₹/किग्रा	50.00	220.00
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद की प्रति इकाई पीटीबीपी खपत	किग्रा	0.00094	0.0007
3	पीटीबीपी की पंहुच कीमत	₹/किग्रा.	161	161
4	पाटनरोधी शुल्क	%	20%	20%
5	पाटनरोधी शुल्क	₹/ किग्रा.	32.20	32.20
6	पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण कीमत में वृद्धि	₹/ किग्रा.	0.03	0.02
7	प्रभाव	%	0.06%	0.01%

107. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और यह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि वे उचित कीमत पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करें। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य केवल पाटित आयातों को रोकना और उस घरेलू उद्योग को उपचार प्रदान करना है जो उत्पादन शुरू होने के बाद से ही किसी न किसी स्रोत से होने वाले पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठा रहा है। बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति अभी भी ऐसे आयातों द्वारा ही की जाएगी।

108. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपर्युक्त तालिका में डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन 20% की शुल्क दर पर किया गया है, जो कमतर शुल्क नियम के प्रयोग से किसी भी संबद्ध देश के लिए निकलने वाली शुल्क दर से अधिक है। अतः इस प्रकार आकलित प्रभाव कम करके नहीं आंका गया है।

109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तुओं के अनुचित आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों को समान अवसर

सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करना है। इसके साथ ही, प्राधिकारी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव सामान्य तौर पर केवल विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह विचाराधीन उत्पाद के उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है।

110. पीटीबीपी का उपयोग पीटीबीसीएचए (4-टेर्ट-ब्युटाइल साइक्लोहेक्साइल एसिटेट) के उत्पादन में किया जाता है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि पीटीबीसीएचए में पीटीबीपी की अनुमानित खपत लगभग 78% है। पीटीबीसीएचए का एकमात्र उपयोग सुगंध उद्योग में होता है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि पीटीबीसीएचए का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है और इसलिए, पीटीबीसीएचए के लिए प्राप्त किया गया पीटीबीपी आमतौर पर अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत खरीदा जाता है, जिससे शुल्क लगाने से ऐसी बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर कोई विवाद भी नहीं हुआ है।

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीटीबीसीएचए के उत्पादक लागत में होने वाले परिवर्तनों को अपने ग्राहकों, अर्थात अगले उत्पाद के उत्पादकों अर्थात सुगंध/इत्र निर्माताओं पर अंतरित कर देते हैं, जिसका उपयोग साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माताओं द्वारा किया जाता है जो एफएमसीजी क्षेत्र का हिस्सा हैं। तथापि, इस उत्पाद का उपयोग सभी प्रकार के साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माण में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट निर्माण के प्रीमियम या उच्च-स्तरीय खंड में किया जाता है। इसी प्रकार, कोटिंग, स्याही और चिपकने वाले पदार्थों में पीटीबीपी रेजिन की खपत बहुत कम है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई गणना से पता चलता है कि उपाय लागू करने से अंतिम उत्पाद की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होगी और इसलिए अंतिम उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

112. आवेदक संबद्ध वस्तु का एकमात्र और नया उत्पादक है। आवेदक द्वारा उत्पादन क्षमता स्थापित करने से पहले प्रयोक्ता केवल आयात पर निर्भर थे। आपूर्ति का घरेलू स्रोत होने से देश आत्मनिर्भर बनेगा और ग्राहकों को आपूर्ति का एक सुदृढ़ और विश्वसनीय स्रोत प्राप्त होगा।

<u>ञ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ञ.1 अअन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

113. किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन के पश्चात कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। अनुपूरक प्रकटन विवरण पर ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

ञ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

114. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण और अनुपूरक प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित प्रकटन पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:

क. प्राधिकारी ने बीजक-उपरांत छूट पर विचार नहीं किया है, जबकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हुआ है कि यह चीन के निर्यातकों की वास्तविक वाणिज्यिक प्रथा है। इस समायोजन के बिना पाटन मार्जिन को काफी कम आंका गया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों को लागू किया जाए और उसके अनुसार निवल निर्यात कीमत को समायोजित किया जाए, क्योंकि साक्ष्य संबंधी बाधा पूरी तरह से निर्यातकों की गैर-भागीदारी के कारण उत्पन्न हुई है, न कि घरेलू उद्योग की ओर से किसी कमी के कारण।

ख. घरेलू उद्योग इस तर्क का खंडन करता है कि क्षति केवल पहले के स्रोतों से चीन की ओर पाटन के स्थानांतरण के कारण हुई है। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और यूएसए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने (14 मार्च 2024 से प्रभावी) से पहले, इन निर्यातक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से आयात कम था। चूंकि जांच अवधि वर्ष 2024-25 है, अर्थात पहले के स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के केवल 12 महीने बाद, इसलिए यह व्यापार विचलन की संपूर्ण मात्रा को दर्ज नहीं करता है।

ग. जांच अवधि के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हैं। घरेलू उद्योग को केवल अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए आयातों के पंहुच कीमत से कम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है और कीमत ह्रास की स्थिति बनी है। आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती किए जाने से, उठाई जा रही क्षति और अधिक तीव्र हो गई है।

घ. यह अनुरोध किया जाता है कि ताइवान से होने वाले आयातों से कोई वास्तविक क्षति न होने का निष्कर्ष वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता है। ताइवान से आयात ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर हैं, जिसकी बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष से लगभग तीन गुना हो गई है, और यह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती कर रहा है।

इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ताइवान से होने वाले आयातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करें।

ङ. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में क्षति अवधि के दौरान 2612% की वृद्धि हुई और वे जांच अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर थे। कोरिया गणराज्य पर शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है।

च. प्राधिकारी ने सही रूप से नोट किया है कि शुल्क लगाए जाने के कारण बिक्री कीमत और क्षतिरहित कीमत के बीच का अंतर कम होना चाहिए था, परंतु चूंकि पाटन चीन जनवादी गणराज्य की ओर स्थानांतरित हो गया है, इसलिए यह अंतर वास्तव में काफी बढ़ गया है, जो घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव को दर्शाता है।

छ. बाजार हिस्सेदारी के संबंध में, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ताइवान से आयातों में जांच अवधि के बाद हुई वृद्धि पर विचार करें, जो कुल आयात और भारतीय खपत में काफी अधिक वृद्धि दर्शाता है। सामूहिक रूप से, पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने वाले देशों पर शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से आयात काफी बढ़ रहे हैं।

ज. घरेलू उद्योग ने कई स्रोतों से पाटन का सामना किया है और अब जाकर वह उबरने के मार्ग पर है। कम आंका गया क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को लगातार क्षतिकारी आयातों का सामना करने के लिए छोड़ सकता है और उपचारात्मक उपाय की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि क्षति मार्जिन उठाई गई क्षति की वास्तविक मात्रा को प्रदर्शित करे।

झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच अवधि के बाद के आयात आंकड़ों पर विचार करें जो दर्शाते हैं कि ताइवान से आयात अपने उच्चतम स्तर पर हैं, जो आधार वर्ष से लगभग तीन गुना हो गए हैं, और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में कटौती कर रहे हैं। ऐसे आयातों की पंहुच कीमत भी क्षतिरहित कीमत से कम रही है, जो पहुंचाई जा रही क्षति की सीमा को प्रदर्शित करता है।

ञ. प्राधिकारी ने नोट किया कि चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयात भारत में होने वाले कुल आयात का 42% हैं। जांच अवधि के बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से आयात 36% है जबकि ताइवान से आयात 16% है, जिससे संबद्ध देशों से आयातों की संचयी हिस्सेदारी 52% हो जाती है। इसके साथ ही, जिन देशों पर पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू है, उनका कुल आयात में लगभग 47% हिस्सा है। ऐसे

किसी अन्य कारक की पहचान नहीं की गई है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकता था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान दोनों से कम कीमत वाले आयातों के कारण हुए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष ज्ञात करें।

ट. घरेलू उद्योग अनुपूरक प्रकटन विवरण में चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है और प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि अनुपूरक प्रकटन विवरण के खंड ग में उल्लिखित संबद्ध देशों के संशोधित दायरे की पुष्टि की जाए।

ठ. संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अंतर्गत संचयी मूल्यांकन की शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है, प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है, और आयातित वस्तुओं के बीच तथा आयातित वस्तुओं और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

ड. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के परस्पर तुलनीय गुण हैं, वे वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और भारत में उन्हीं अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होती हैं, जो लिखित अनुरोधों के साथ अनुबंध-ग के रूप में दायर चीनी, ताइवानी और भारतीय उत्पादकों के उत्पाद विवरण पत्रकों से सिद्ध होता है।

ढ. संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं और घरेलू उद्योग द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं उसी अवधि में ग्राहकों के उसी वर्ग को विपणित की जाती हैं, जो लिखित अनुरोधों के साथ अनुबंध-घ के रूप में दायर विवरणों से सिद्ध होता है, और संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

ण. जहां पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत शर्तें पूरी होती हैं वहां आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना विभिन्न क्षेत्राधिकारों में जांच प्राधिकारियों की सामान्य प्रथा है, और 2025 तथा 2026 में प्राधिकारी द्वारा संपन्न ऐसी ग्यारह जांचों की सूची रिकॉर्ड पर रखी गई है जिनमें संचयी मूल्यांकन किया गया था।

त. संचय का सिद्धांत उरुग्वे दौर में चर्चा का विषय रहा था, और यह चिंता कि जिस देश के निर्यात अलग-अलग रूप में वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं चलाई जानी चाहिए, इस सिद्धांत के प्रयोग पर न्यूनतम सीमा संबंधी प्रतिबंधों के समावेश का कारण बनी। अतः पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 में निर्धारित मापदंड

यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि किसी मामले में संचयी मूल्यांकन वैध और उपयुक्त है अथवा नहीं।

थ. घरेलू उद्योग अभी भी कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से हुए पूर्ववर्ती पाटन से उबर रहा है, जिन पर पाटनरोधी शुल्क केवल 14 मार्च 2024 को लगाया गया था, और चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान से नए सिरे से हो रहा पाटन उसकी पूर्ण वसूली में बाधक है। वसूली की यह चल रही अवस्था स्वयं में एक वैध क्षति मापदंड है जो घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता को दर्शाती है।

द. क्षति और संबद्ध आयातों के बीच कारणात्मक संबंध, संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत की तुलना पहले से ही पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों से आयातों की पाटनरोधी शुल्क सहित पंहुच कीमत से करने पर स्थापित होता है, जो काफी अधिक है, और इससे यह सिद्ध होता है कि क्षति संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के कारण है न कि अन्य स्रोतों से आयातों की कीमत के कारण।

ध. घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में सुधार इस कारण है कि उसने संबद्ध वस्तुओं को घाटे में बेचा है तथा शुल्क लगाए जाने के बाद कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और यूएसए से आयातों में गिरावट आई है, और जब पूर्ववर्ती स्रोतों पर शुल्क लगाए जाने के बाद पाटन नए स्रोतों की ओर स्थानांतरित होता है तो ऐसा अल्पकालिक सुधार स्वाभाविक है।

न. घरेलू उद्योग ने अपनी पीटीबीपी उत्पादन इकाई की स्थापना में *** करोड़ रुपये का निवेश किया है और पाटित आयातों से संरक्षण के अभाव में उसे उत्पादन बंद करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, ग्राहकों और भविष्य की निवेश योजनाओं पर पड़ेगा।

प. घरेलू उद्योग ने सभी विनिर्दिष्ट गैर-आरोपण कारकों, अर्थात अन्य स्रोतों से आयात, मांग में संकुचन, उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन, प्रतिस्थापनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी में विकास, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और निर्यात निष्पादन, के साथ-साथ अपने लिखित अनुरोधों के पैरा 68 में उल्लिखित अतिरिक्त कारकों पर विचार किया है, और संबद्ध देशों से आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा रहा है।

ञ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

115. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जॉच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश अनुरोध उन तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं जिनका इन अंतिम जॉच परिणामों के संगत पैराग्राफों में आवश्यक सीमा तक पहले ही जॉच और समाधान किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटन पश्चात जॉच में ऐसे अनुरोधों के उत्तरों को दोहराने का परिहार किया है। तथापि, प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाए गए नए मुद्दों के साथ-साथ उन मुद्दों का, जिनका पहले समाधान किया गया था परंतु आगे जॉच करना आवश्यक समझा गया, नीचे समाधान किया गया है।

116. बीजक-उपरांत छूट के लिए निर्यात कीमत के समायोजन की मांग करने संबंधी घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि ऐसा अनुरोध चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की केवल एक छोटी मात्रा को कवर करने वाले पुन: बिक्री बीजकों पर आधारित है, जो उन भारतीय आयातकों द्वारा जारी किए गए हैं जिन्होंने स्वयं जांच में भाग नहीं लिया था और जिनके अभिलेखों का संबंधित सौदों के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। तदनुसार, प्राधिकारी ऐसे पुन: बिक्री बीजकों के आधार पर निवल निर्यात कीमत को समायोजित करना उचित नहीं मानते हैं।

117. अनुपूरक प्रकटन विवरण पर घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तों की जांच इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में की गई है और उन्हें दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पूरा पाया गया है। तदनुसार प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया है, तथा ताइवान से आयातों के पृथक मूल्यांकन और ताइवान के संबंध में जांच समाप्त करने संबंधी ताइपे इकानोमिक एंड कल्चरल सेंटर के अनुरोधों पर उन्हीं पैराग्राफों में विचार किया गया है।

118. प्राधिकारी की अन्य जांचों में पूर्ववर्ती प्रथा तथा संचय के सिद्धांत के वार्ता-संबंधी इतिहास पर घरेलू उद्योग के अनुरोधों की पृथक जांच अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वर्तमान जांच में निर्धारण नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निर्धारित शर्तों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

119. जांच अवधि के पश्चात की अवधियों के आयात आंकड़ों पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विश्वास पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि क्षति का निर्धारण क्षति अवधि और जांच अवधि के संदर्भ में किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा अपनी टिप्पणियों में

उद्धृत पंहुच कीमत के आंकड़े प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आंकड़ों से मामूली रूप से भिन्न हैं, और प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों से किए गए अपने स्वयं के निर्धारण पर विश्वास किया है।

ञ. निष्कर्ष और सिफारिश

120. ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार दिए गए तर्कों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि: -

क. विचाराधीन उत्पाद "पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल" या "पीटीबीपी" है, जो सीएएस संख्या 98-54-4 के अनुरूप है। उत्पाद के पिघले हुए और फ्लेक्ड दोनों रूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 29071940 के अंतर्गत अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात की जाने वाली संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं।

घ. यह आवेदन विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

ङ. आवेदक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

च. घरेलू उद्योग नियमावली के अंतर्गत पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

छ. चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया।

ज. चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ का उचित योग शामिल है।

झ. चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के लिए पाटन मार्जिन 10-20% की सीमा में है, जबकि ताइवान से आयातों के लिए पाटन मार्जिन 5-15% की सीमा में है।

ञ. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन के लिए निर्धारित शर्तें दोनों संबद्ध देशों के संबंध में पूरी होती हैं, क्योंकि प्रत्येक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और प्रत्येक से आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के कुल आयातों के तीन प्रतिशत से अधिक है।

ट. तदनुसार चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान से पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन किया गया है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयातित वस्तुएं और घरेलू समान वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उसी अवधि में उसी बाजार में ग्राहकों के उसी वर्ग को बेची जाती हैं।

ठ. विचाराधीन उत्पाद की मांग में 2022-23 में गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

ड. संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष के 987 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,818 मीट्रिक टन हो गए, जो 287% की वृद्धि को दर्शाता है। चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष के 125 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 3,391 मीट्रिक टन हो गया, जो 2,612% की वृद्धि को दर्शाता है। जांच अवधि में आयात अपने उच्चतम स्तर पर थे।

ढ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई, जबकि इसकी बिक्री कीमत में गिरावट आई है। पूरी क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम रही है।

ण. पाटित आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग के क्षतिरहित कीमत से कम रही है। पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक बढ़ाने से रोका है।

त. देश में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद, घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में अधिक मात्रा में बिक्री करने से रोका गया और उसे अन्य देशों में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश होना पड़ा है।

थ. देश में मांग में वृद्धि और मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 30% की वृद्धि हुई।

द. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यद्यपि जांच अवधि में इसके निष्पादन में मामूली सुधार हुआ, फिर भी इसे लगातार घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर अत्यधिक नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

ध. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

न. पहले यह पाया गया था कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से डंप किए गए इंपोर्ट की वजह से घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था। अथॉरिटी ने उन स्रोतों पर एडीडी लगाने की सिफारिश की थी और उसे लागू भी किया गया था। इससे घरेलू इंडस्ट्री के सामान्य स्थिति में लौटने की उम्मीद थी। हालाँकि, मौजूदा संबंधित देशों से हो रही डंपिंग ने घरेलू इंडस्ट्री को डंपिंग के पिछले बुरे असर से पूरी तरह उबरने से रोका है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मौजूदा संबंधित देशों से इंपोर्ट की लैंडेड कीमत घरेलू इंडस्ट्री की नॉन-इंजुरियस कीमत (नुकसान न पहुँचाने वाली कीमत) से काफी कम है, यह साबित करता है कि अगर मौजूदा स्रोतों से हो रही डंपिंग पर एडीडी लगाकर कार्रवाई नहीं की गई, तो डंपिंग वाला इंपोर्ट घरेलू इंडस्ट्री को सामान्य स्तर पर लौटने से रोकेगा और घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान होता रहेगा।

प. ऐसा कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो।

फ. किसी भी प्रयोक्ता, आयातक या निर्यातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया। केवल घरेलू उद्योग ने जानकारी प्रदान की है।

ब. डाउनस्ट्रीम सुगंध और रेजिन उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य और 0.1% से कम है।

भ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा और केवल यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करें। भारतीय बाजार के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति आयातों द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

म. पाटनरोधी शुल्क समान प्रतिस्पर्धी अवसरों को बहाल करेगा और विदेशी उत्पादकों तथा घरेलू उद्योग के बीच एक समान अवसर की प्रतिस्पर्धा बनाए रखेगा।

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी

नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

122. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक मानते हैं और इसकी सिफारिश करते हैं।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	**शीर्ष/उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**यूओएम**	**मुद्रा**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29071940	पैरा-टर्शियरी ब्यूटाइल फिनोल" (पीटीबीपी)	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	कोई	115	मी. टन	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई	115	मी. टन	अम.डा.

गैर-गोपनीय

3	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई देश	कोई	28	मी. टन	अम.डा.
4	-वही-	-वही-	पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों के अतिरिक्त कोई अन्य देश	ताइवान	कोई	28	मी. टन	अम.डा.

ट. आगे की प्रक्रिया

123. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 24-09-2026
15:31:54

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)